

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 शाखा धूलकोट धौलपुर बनाम श्रीमती विमलेश त्यागी

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 45 सन् 2019

RCMS No. 2019/00084

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुय
22.10.19	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी डॉ. सीताराम गुप्ता पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्ता मॉ पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर विमलेश त्यागी पत्नी स्व० श्री गोकुलसिंह निवासी खसरा नम्बर 230 प्लॉट नम्बर 28 सीताराम कोलोनी धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 25.01.2018 को सी०सी० रुपये 60,00,000/- व ट्रम रुपये 2,80,00,000/- रुपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- आवासीय सम्पत्ति खसरा नम्बर 230 प्लॉट संख्या 28 सीताराम कोलोनी तहसील व जिला धौलपुर जो कि पार्टनर विमलेश त्यागी पत्नी स्व० श्री गोकुलसिंह के नाम है। जिसके हददअरबा निम्न प्रकार है:- पूर्व में रोड़ 20 फीट, पश्चिम में प्लॉट नं० 25, उत्तर में प्लॉट नं० 27, दक्षिण में प्लॉट नं० 29 है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 20.07.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन०पी०ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 03.08.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 3,66,61,102.86/- रुपये मात्र दिनांक 20.07.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।</p>	<p>683-85 28/10/19</p>

(आरो के० जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी आवासीय सम्पत्ति खसरा नम्बर 230 प्लॉट संख्या 28 सीताराम कोलोनी तहसील व जिला धौलपुर जो कि पार्टनर विमलेश त्यागी पत्नी स्व० श्री गोकुलसिंह के नाम है जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार है:- पूर्व में रोड़ 20 फीट, पश्चिम में प्लॉट नं० 25, उत्तर में प्लॉट नं० 27, दक्षिण में प्लॉट नं० 29 है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जाधसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

(राकेश कुमार जाधसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर